न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 3/2020
प्रविष्टि दिनांक — 14-1-2020

प्रभू पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम घांस तहसील टोंक जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला— टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 15-10-2019 मिसल सं0 106/2019

उपस्थिति :- (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — **दिनांक 17-3-2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 15-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन शमशान वाके ग्राम घांस पर बाढ करने पर अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार टोंक द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को पूर्व में कभी बेदखल किया है नहीं गया तो पश्चातवर्ती अतिक्रमी किस प्रकार साबित है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस[illegible] निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। जिससे निर्णय विधि विरुद्ध है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को [illegible] निर्णय की जानकारी र्स्वप्रथम 10-12-2019 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकल प्राप्त करने

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हेतु आवेदन दिनांक 10–12–2019 को पेश कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर रहा है। अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है, जो न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है, देरी को क्षमा किये जाने हेतु पृथक से धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन शमशान की भूमि है उस पर अपीलान्ट ने बाढ़ करके अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में भी पत्रावली सं0 42/2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय गैर मुमकिन शमशान की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है अपीलान्ट्स को जारी नोटिस पर विधिवत तामील हुई है किन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 701/1 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन शमशान की भूमि है उस पर अपीलान्ट ने बाढ़ लगा कर कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में भी पत्रावली सं0 42/2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय गैर मुमकिन शमशान की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11–12–2019 को न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेने उक्त वर्णित आराजियात से मेरा कब्जा हटा लिया है तथा मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है ओर न ही भविष्य में उक्त आराजियात पर में कब्जा करूंगा ओर न ही अन्य किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–10–2019 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार तहसीलदार टोंक यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–3–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner